भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2030

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

मध्य प्रदेश में पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना

2030. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा उच्चतम विद्युत मांग के प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की भौगोलिक उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वहां पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) की स्थापना संबंधी संभावनाओं का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिले में जल संसाधानों के समुचित उपयोग के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु ऐसी परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से कोई विशेष सकारात्मक कदम उठाए जा रहे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में छिंदवाड़ा सहित प्रस्तावित पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या बजटीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा-2 नामक 1000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली एक पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) की पहचान की गई है।

(ख) : सरकार ने केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ-साथ निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2023 को देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
(ii) विभिन्न हितधारकों के बीच उचित जोखिम-साझाकरण के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित एक पारदर्शी, निष्पक्ष और मानकीकृत खरीद ढांचा प्रदान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक

06.02.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पंप भंडारण संयंत्र से भंडारण क्षमता/संग्रहित ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

(iii) अवसंरचना को सक्षम बनाने अर्थात् सड़कें/पुल, रेलवे साइडिंग, रोपवे, संचार अवसंरचना और विद्युत केन्द्र से निकटतम संग्रहण बिंदु तक पारेषण लाइन की लागत के लिए बजटीय सहायता।

(iv) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 26.06.2025 की अधिसूचना के माध्यम से वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 25 वर्षों की अवधि के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं, (पीएसपी), जिसका निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2028 को या उससे पहले अवार्ड किया गया है, के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया है।

(v) भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीईए से अनिवार्य सहमति प्राप्त जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों की संस्थापना से संबंधित स्कीमों के लिए पूंजीगत व्यय सीमा को संशोधित करके 3,000 करोड़ रूपये कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूंजीगत व्यय की मात्रा के निरपेक्ष, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप् भंडारण स्कीम को सीईए सहमति की आवश्यकता से छूट दी है।

(vi) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और स्वीकृति के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, पीएसपी के लिए डीपीआर की स्वीकृति की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, पीएसपी के लिए अंतर-राज्यीय पहलुओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(vii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 18.05.2023 की अधिसूचना के माध्यम से कतिपय शर्तों के अध्यधीन बी2 श्रेणी के अंतर्गत पीएसपी के मूल्यांकन को सक्षम बनाया है।

(viii) एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक14.08.2023 को ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की हैं। इनके अनुसार, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पीएसपी के लिए एक ऋतु (मानसून को छोड़कर) का आधारभूत पर्यावरणीय डेटा एकत्र करना निर्धारित किया गया है, जबकि ऑफ-स्ट्रीम ओपन-लूप पीएसपी के लिए दो ऋतुओं (पूर्व-मानसून एवं पश्चात्-मानसून) का आधारभूत पर्यावरणीय डेटा एकत्र करना निर्धारित किया गया है।

(ix) एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 20.08.2024 को खनन परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधानों को जलविद्युत/पीएसपी सहित अन्य विकास परियोजनाओं तक विस्तारित किया है।

(x) एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 10.09.2025 के पत्र के माध्यम से जलविद्युत/पीएसपी सहित खनन और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और खोज करने हेतु बोरहोल की संख्या में वृद्धि की है।

(ग) : सरकार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मूल्यांकन, तकनीकी दिशानिर्देश जारी करना और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी सहित मध्य प्रदेश सहित पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाती है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत सरकार पात्र पीएसपी को सड़क और पुल, रेलवे साइडिंग, रोपवे, संचार अवसंरचना और विद्युत केंद्र से निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन सहित सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है।
